बिहार विधान सभा वादवृत्त

वृहस्पतिवार तिथि ९ दिसम्बर १९६५।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में वृहस्पतिवार तिथि ९ दिसम्बर, १९६५ को पूर्वाहन ११ बजे अध्यक्ष डा० लक्ष्मी नारायण सुधांशु के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

श्री नवल किशोर सिंह--महाशय में तृतीय बिहार विधान-सभा के दशम सत्र (जुलाई-अगस्त), १९६५ के शेष ८५ अल्प-सूचित प्रश्नों में से १० प्रश्नों के उत्तर जो समयाभाव के कारण सदन में नहीं दिये जा सके, सभा की मेज पर रखता हूँ।

प्रश्नकर्त्ता को प्रश्न पूछने के समय उपस्थित रहना चाहिये।

(अल्प-सूचित प्रश्न संख्या १--प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित।)

श्री राज मंगल मिश्र- अध्यक्ष महोदय यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण है अतः इसे पूछने का आदेश दिया जाय ?

अध्यक्ष--प्रश्नकर्त्ता को उपस्थित होना चाहिये। यह जिम्मेवारी सदस्यों की है। आपलोगों में से किसी को उन्होंने अधिकृत किया है ?

श्री राज मंगल मिश्र--जी नहीं, लेकिन यह प्रश्न महत्वपूर्ण है इसलिये पूछने का आदेश दिया जाय।

अध्यक्ष--मैं इस चीज को प्रोत्साहन नहीं देना चाहता हूँ। जो प्रश्न की सूचना देते हैं उन्हें उपस्थित रहना चाहिये जबकि इसकी सूचना आपको पहले से ही दे दी जाती है। मैं इसको नहीं मानता हूं।

तारांकित प्रश्नोत्तर।

पटवन की व्यवस्था।

१५६। श्री जनार्दन तिवारी—क्या मंत्री, नदी-घाटी योजना (सोन एवं गंडक) विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(१) सोन बराज और गंडक बराज की नहरों का कबतक निर्माण हो जाने की संभावना है;

(२) इन नहरों से कबतक पटवन का कार्य शुरूहोने की आशा की जाती है ?

श्री महेश प्रसाद सिंह—यह फिगर हमारे पास नहीं है।

श्री जौन मुंजनी—दो देशों की जमीन इस योजना से पटगी तो हमारा पूछना है कि नेपाल में ज्यादा जमीन पटेगी या बिहार में ?

श्री महेश प्रसाद सिंह—बिहार में ज्यादा पटेगी।

श्री जौन मुंजनी—त्रिवेणी कैनाल अंग्रेजों के वक्त का बना हुआ है। उससे जो पटवन होता है, क्या वह भी इसमें शामिल है ? गंडक और कोशी तो हमलोगों का बनाया हुआ है।

अध्यक्ष—गंडक बराज नेपाल की जमीन में बना है।

*श्री कर्पूरी ठाकुर—नारायणी नदी नेपाल और बिहार को अलग करती है। गंडक योजना नेपाल और बिहार दोनों तरफ बन रही है।

अध्यक्ष—मैं कह रहा हूं कि जहां बराज बन रहा है वह जमीन नेपाल राज के अन्दर है।

श्री कर्पूरी ठाकुर—जो बराज बन रहा है वह केवल नेपाल में है या बिहार में भी ?

श्री महेश प्रसाद सिंह—आधा नपाल में और आधा बिहार में पड़ता है।

श्री सूरज नारायण सिंह—मैं यह पूछना चाहता हूं कि प्रश्न में है :

कि एन०पी०सी०सी० की शिथिलता के कारण प्रगति धीमी हो रही है, इसलिये काम में तेजी आवे, भारत-सेवक-समाज का सहयोग सरकार लेगी ?

अध्यक्ष—आवश्यक है लेना।

पुल-निर्माण का सिद्धांत।

१५८। श्री शिव कुमार पाठक—क्या मंत्री, नदी-घाटी योजना (सोन एवं गंडक शाखा) विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सिंचाई विभाग का सिद्धांततः यह निर्णय है कि सिंचाई के बड़े-बड़े प्रोजेक्टों में दो और तीन माईल पर ही पुल का निर्माण किया जा सकता है;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त निर्णय १८७४ ई० में सोन नहर के निर्माण के समय लिया गया था जबकि न इतनी घनी आबादी थी और न कृषि पर इतना जोर ही दिया जाता था;

(३) क्या यह बात सही है कि गंडक प्रोजेक्ट में भी इसी सिद्धांत के अनुसार दो-तीन माईल पर पुल बनाने का काम हो रहा है;

(४) क्या यह बात सही है कि सारन जिला बहुत ही घनी आबादी का जिला है और वहां के किसानों को अपने खेतों में रोजमर्रे के कामों को करने जाने के लिये गंडक नहर के इस पार से उस पार जाने में तीन माईल का चक्कर लगाना पड़ेगा और ठीक समय पर काम नहीं हो सकेगा;

(५) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इस संबंध में कठिनाई को दूर करने के लिये क्या इन्तजाम सोचती है; यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सहदेव महतो—(१) यह बात सही है कि साधारण तौर पर सिंचाई की बड़ी-बड़ी

योजनाओं में नहरों पर तीन एवं दो मील की औसत दूरी पर पुलों के निर्माण की व्यवस्था है, और उनका निर्माण भी इन्हीं औसत दूरियों पर योजना के व्यय पर हो रहा ह ।

(२) सिंचाई की बड़ी योजनाओं में पुलों के निर्माण का उक्त माप-दंड १८७४ ई० में बनी सोन नहर पर के पुलों की औसत दूरी पर आधारित नहीं की गयी है, वरन् देश के वर्त्तमान समय में बनी अन्य बड़ी योजनाओं में बने पुलों की औसत दूरी पर रखी गयी है (जैसे मयूराक्षी योजना, कोशी योजना आदि) ।

(३) गंडक प्रोजेक्ट में उपर्युक्त सिद्धांत के आधार पर योजना के व्यय से पुलों का निर्माण नहरों की निस्सरण क्षमता के अनुसार दो तथा तीन मील की औसत दूरी पर हो रहा है ।

(४) यह बात सही है कि सारन जिला घनी आबादी का जिला है । किन्तु, यह बात सत्य नहीं है कि वहां के सभी किसानों को नहर पार जाने के लिये तीन मील का चक्कर लगाना पड़ेगा । हां, कुछ किसानों को जिनकी बस्तियां संयोग से पुलों की औसत दूरी के मध्य में पड़ती है, बड़ी नहरों के पार जाने में करीब १ मील तथा छोटी नहरों में १/२ मील का चक्कर लगाना पड़ सकता है तथा उन किसानों की खेती में जिनकी जमीन तथा घर के बीच से नहर निकलती हैं, कुछ असुविधायें अवश्य हो जायंगी ।

(५) नहरों के बनने के पहले आवागमन की पूरी स्वतंत्रता रहती है । उनके बन जाने पर आवागमन में कुछ रुकावट आ ही जाती है । फिर भी जहां तक संभव है पुल लोगों की सुविधा के लिये ही, खर्च को ध्यान में रख कर, देने के लिये सरकार ने नीति अपनाई है । अतः अतिरिक्त पुल यदि आवश्यक समझे जाते हैं तो उन प्रस्तावों पर जिला पदाधिकारी तथा जिला विकास समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार विचार करती है ।

*श्री शिवकुमार ठाकुर—मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का आदेश है कि २–३ मील पर पुल बनेगा इसलिए आवश्यकता को देखते हुए भी इनके विभाग के अधिकारी इसके खिलाफ सिफारिश नहीं करना चाहते हैं या नहीं करते हैं। ऐसी बात है या नहीं ?

श्री सहदेव महतो—ऐसी बात नहीं है। खंड (५) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी या जिला विकास समिति की सिफारिश पर, जिसके माननीय सदस्य भी सदस्य होते हैं, बीच में भी पुल देने की बात होती है।

श्री शिवकुमार ठाकुर—क्या यह बात सही है कि जिला विकास समिति ने यह प्रस्ताव पारित कर के भेज दिया है कि दो-तीन मील के बदले एक-एक मील पर पुल बनाने का इन्तजाम किया जाय।

अध्यक्ष—शायद मैंने माननीय मंत्री, सिंचाई विभाग से या उनके किसी अधिकारी से नहर पर पुल बनाने के संबंध में बात की थी। उसमें आदेश है कि २–३ मील के बीच में भी जगह-जगह पुल बना सकते हैं। सीमेन्ट और कंक्रीट का पुल बनाने में बहुत ज्यादा खर्च पड़ता है। राज्य की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि इतना खर्च किया जा सके। जगह-जगह पुल भी बनाना जरूरी है तो सीमेन्ट और कंक्रीट का न बनाकर लकड़ी का पुल देना चाहिए जो मिट्टी रहने से बहेगा भी नहीं और सस्ते में बनाया भी जा सकता है।

*श्री रमेश झा—जब नहर बन चुकी है और हर गांव के लोगों को सुविधा देनी है, तो सुविधा के ख्याल से इस बात की क्या जांच पुनः सरकार करायेगी कि कहां-कहां किन-किन गांवों में पुल देने की आवश्यकता है ?

श्री सहदेव महतो—सरकार जांच करा रही है। माननीय सदस्यों का ख्याल करके ही अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया है कि.....

अध्यक्ष—ऐसा करने से १ के बदले ४ पुल बना सकते हैं।

श्री रमेश झा—कोशी प्रोजेक्ट के अधिकारियों से एक लिस्ट मंगा ली जा सकती है कि तत्काल कहां-कहां पुल देने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष—जो लिस्ट बनायी जायेगी वही बराबर नहीं रहेगी।

श्री सभापति सिंह—सरकार का उत्तर हुआ कि मयूराक्षी योजना और कोशी योजना पूरी हो चुकी है और यह प्रश्न सारन जिला के लिए है। आपको मालूम है कि सारे हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा घनी आबादी यहीं की है.....

अध्यक्ष—दरभंगा भी कम नहीं है।

श्री सभापति सिंह—१,४०० प्रति वर्गमील सारन जिला के सीवान सबडिवीजन की है, इतनी घनी आबादी बिहार में कहीं नहीं है। क्या सरकार को पता नहीं है कि सारन जिले में ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनको २–३ एकड़ जमीन है ? सरकार ने उत्तर में बताया कि एक मील या आधा मील का चक्कर लगाना होता है तो जैसा अध्यक्ष महोदय ने बताया उससे भी आसान लकड़ी का न देकर कम-से-कम फुटपाथ ही बना दें जिससे गाड़ी नहीं जाय तो कम-से-कम आदमी जाय, हल-बैल चला जाय, सर पर खाद चली जाय।

श्री महेश प्रसाद सिंह—सरकार सारी जवाबदेही को समझती है और किसानों की सुविधा को भी समझती है। इसलिये जहां-जहां आवश्यकता मालूम होती है पुल बनाये जाते हैं। आइन्दा माननीय सदस्य जो राय देंगे उसपर भी पूर्ण विचार करने की कोशिश की जायगी। कोशिश की जाती है कि लोगों को जहां तक संभव हो एकोमोडेट किया जाय, लेकिन वित्तीय संकट सामने आ जाता है।

श्री सभापति सिंह—सरकार किसानों की सुविधा नहीं समझती है।

श्री महेश प्रसाद सिंह—जितना हमलोग समझते हैं उतना आपलोग नहीं समझते हैं।

श्री सभापति सिंह—माननीय सदस्य, श्री रमेश झा ने बताया है कि जहां पुल की आवश्यकता समझी जाती है वहां के लिये लोग तथा माननीय सदस्य आवेदन-पत्र देते हैं। क्या इस तरह की योजना सरकार के पास है कि विभागीय अधिकारियों के द्वारा एक बार सर्वे कर लिया जाय कि कहां-कहां किस प्रकार के पुल की आवश्यकता है और यह तय कर लिया जाय कि वित्तीय साधन के अनुसार किस हद तक सरकार पुल बनवा सकती है ?

श्री महेश प्रसाद सिंह—सर्वेक्षण कराकर सरकार ने करीब ७४ पुलों का निर्माण किया है, कुछ पुल अभी बन रहे हैं और अभी जैसा श्रीमान ने कहा है वह ठीक ही है कि कोई भी लिस्ट बनेगी तो वह पूर्ण नहीं होगी। इसके बाद भी जहां-जहां के लिये लोगों का तथा माननीय सदस्यों का सुझाव आता है, सरकार उसपर विचार करती है। लिस्ट में जोड़ने की कोशिश की जाती है, घटाने का कोई प्रश्न ही नहीं आता है।

*श्री शकूर अहमद—हम जानना चाहते हैं कि जहां सरकार पुल नहीं बनवा सकती है वहां यदि गांव के लोग अपनी ओर से काठ का छोटा सा पुल बनाना चाहें, तो क्या सरकार इसकी इजाजत लोगों को देगी। उनको बोझा लाने और ले जाने तथा और कामों को करने में बड़ी दिक्कत होती है, उनको २ मील का चक्कर लगाना पड़ता है।

अध्यक्ष—गांव वालों को ऐसा करने देना ठीक नहीं होगा। मैं इसके संबंध में एक सुझाव देना चाहता हूं। जंगल विभाग से सरकार लकड़ी लेकर ठीकेदार को दे और केवल लेवर उसका रहे। ठीकेदार को कहा जाय कि वह ४ फुट, ६ फुट या ८ फुट का काठ का पुल बना दें, इसमें खर्च भी बहुत कम होगा।

श्री शकूर अहमद—यदि किसी किसान का २ कट्ठा खेत नहर के उस पार रहता है तो उसे वहां जाकर जोतने में दिन भर चला जाता है पुल के नहीं रहने के कारण।

अध्यक्ष—पुल की आवश्यकता है इसे तो सरकार ने भी स्वीकार किया है।

*श्री यदुनन्दन झा—किसानों को बोझा ले आने में, हल तथा बैल ले आने और ले जाने में सारा दिन खतम हो जाता है।

*श्री परमेश्वर कुमर—जहां-जहां नहर बनायी है और गांव के सामने पुल नहीं बनाये गये हैं, क्या सरकार वहां पुल देने की व्यवस्था करना चाहती है? पुल के नहीं रहने से किसानों को खेती करने में दिक्कत हो जाती है।

अध्यक्ष—आप नयी बात तो कह नहीं रहे हैं।

श्री कर्पूरी ठाकुर—ये कह रहे हैं कि उत्पादन में घाटा हो रहा है।

श्री परमेश्वर कुमर—लौहटा ब्लौक से जो सुझाव आया है.....

अध्यक्ष—एक स्थान का नाम लेने से काम नहीं चलेगा।

श्री जौन मुंजनी—माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि जितना हमलोग समझते हैं उतना आपलोग नहीं समझते हैं, इसका क्या मतलब है?

अध्यक्ष—कहनेवाले की बात समझते हैं और आवश्यकतानुसार काम करते हैं।

अधवारा नदी समूह को नियंत्रित करने की व्यवस्था।

१५९। श्री एकनारायण चौधरी—क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि अधवारा नदी समूह को नियंत्रित करने एवं उन से सिंचाई का काम लेने की योजना है;